UPEW010032212024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधिनियम)इटावा ।

विशेष वाद संख्या–646/2024

विनय कुमार बनाम देवेन्द्र कुमार आदि।

थाना–सैंफई ,जिला–इटावा।

दिनांक–22.04.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर परिवादी विनय कुमार अनुपस्थित है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं आये और न ही परिवादी का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई स्थगन या मौहलत प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि परिवादी/आवेदक विनय कुमार द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–156(3)द०प्र० संहिता विपक्षीगण देवेन्द्र कुमार,सुमन देवी व नीरज कुमार के विरूद्ध योजित किया गया और मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिये जाने की याचना की गयी। यह दर्शित है कि न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 09.05.2024 के तहत उपरोक्त प्रार्थनापत्र को परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने का आदेश पारित किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रकरण से सम्बन्धित विपक्षी देवेन्द्र कुमार परिवादी विनय कुमार का भाई है एवं विपक्षी सुमन देवी परिवादी की भाभी है एवं विपक्षी नीरज कुमार परिवादी के भाई का साला है। परिवादपत्र के अनुसार पक्षों के मध्य मकान के बंटवारे एवं चार लाख रूपये के लेनदेन का विवाद दर्शित होता है। परिवादपत्र में परिवादी द्वारा घटना दिनांकित 24.03.2024 का उल्लेख करते हुये विपक्षीगण द्वारा उसको गंदी गंदी गालिया देते हुये थप्पड़ों व घूसों से मारने पीटने व उसकी सोने की चैन बीस ग्राम जोकि वह पहने हुये था को छीन लेने व वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दिये जाने का कथन किया गया है। परिवादी द्वारा उक्त घटना को अपने माता पिता हृदयराम व

Digitally signed by ALOK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.05.04 12:22:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उर्मिलादेवी तथा भानुप्रताप व परिवादी की पत्नी किरन देवी द्वारा देखा जाना व स्वंय को बचाया जाना बताया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि परिवादी विनय कुमार द्वारा दिनांक 19.07.2024 को स्वंय का बयान अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०संहिता लेखबद्ध कराया गया है। परिवादी द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०संहिता में परिवादपत्र में कथित मारपीट व सोने की चैन छीनने के सापेक्ष कोई भी कथन नहीं किया गया है एवं चार लाख रूपये घटना से छः माह पहले दिये जाने का कथन किया है,जबकि परिवादपत्र में एक साल पहले रूपये दिये जाने का कथन किया गया है। परिवादी ने स्वंय अपने बयान में यह कथन किया है कि देवेन्द्र ने उसके विरूद्ध केस किया है। 01.04.2024 को सैंफई थाने पर रिपोर्ट लिखायी है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि परिवादी द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 202 द०प्र०संहिता के अन्तर्गत किसी साक्षी का बयान लेखबद्ध नहीं कराया गया है। यह भी दर्शित है कि परिवादी विगत काफी समय से गैर हाजिर चल रहा है। परिवादी को अन्तिम अवसर भी दिया जा चुका है। आज भी परिवादी अनुपस्थित है। एकमात्र परिवादी के बयान के आधार पर विपक्षीगण की संलिप्तता प्रथमदृष्टया दर्शित नहीं होती है,अन्य कोई साक्षी पेश नहीं किया गया है। अतः ऐसी दशा में परिवादी का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया जाता है विपक्षीगण के विरूद्ध साक्ष्य के अभाव में कार्यवाही किये जाने का कोई युक्तियुक्त व पर्याप्त आधार दर्शित नहीं होता है और साक्ष्य के अभाव में तथा लगातार अनुपस्थिति के कारण परिवादी का यह परिवाद अन्तर्गत धारा 203 द०प्र० संहिता निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विशेष वाद संख्या–646/2024 विनय कुमार बनाम देवेन्द्र कुमार आदि अन्तर्गत धारा 203 द०प्र०संहिता निरस्त किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार की जाये

(आलोक कुमार श्रीवास्तव)

विशेष न्यायाधीश(द०प्र०क्षे०अधि०)इटावा।

J.O.Code No–1546